रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 1976/माघ 11, 1897
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 1976/MAGHA 11, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 31st January 1976

G.S.R. 57(E).—In pursuance of rule 92B of the Central Excise Rules, 1944 and sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 96/75-Central Excises, dated the 30th April, 1975, the Central Government hereby fixes, for the different sizes of centrifugals installed for the manufacture of Khandsari Sugar in the units working with or without the aid of sulphitation plant, as the case may be and specified in column (1) of the Table below, the rates of additional excise duty calculated, from the date on which the unit commences manufacturing operations during a season

to the date the unit closes down at the end of the season, per week as specified in the corresponding entries in column (2) or column (3) thereof, as the case may be:

TABLE

Sizes of centrifugals	Weekly rates of duty per centrifugal, in rupees	
	Units working with the aid of sulphitation plant	Units working without the aid of sulphitation plant
1	2	3
(1) Height of the centrifugal not exceeding 22·9 centimetres and diameter not exceeding 45·7 centimetres .	630	340
(2) Height exceeding 22·9 centimetres, but not exceeding 30·5 centimetres and diameter of and above 45·7 centimetres but not exceeding 61·0 centimetres .	840	450
(3) Height exceeding 30·5 centimetres but not exceeding 45·7 centimetres and diameter of and above 61·0 centimetres but not exceeding 76·2 centimetres .	1230	660
(4) All other centrifugals not otherwise specified .	1630	870

Provided that:—

(i) the week for the purposes of this notification shall be reckoned as from 1st to 7th, 8th to 14th, 15th to 21st and 22nd to 28th day of a calendar month except the month of February in a leap year, and the week in the month of February in a leap year shall be reckoned as from 1st to 7th, 8th to 14th, 15th to 21st and 22nd to 29th;

(ii) the duty for the remaining 2 or 3 days of the calendar month, except the month of February, as the case may be, shall be calculated at the rate of one-third of the weekly rates of duty specified in column (2) or (3) of the Table, as the case may be, and shall be payable by the manufacturer alongwith the duty payable by him for the fourth week, namely, from 22nd to 28th of that calendar month;

(iii) for the period beginning on the 1st day of July and ending with the 31st day of October, the rate of duty applicable to any type of centrifugal shall be two-thirds of the rate fixed for that type.

Explanation.—For the purpose of this notification "day" means a period of twenty four hours beginning at 9.00 A.M. This notification shall come into force from 1st February, 1976.

[No. 20/76]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 57 (अ).—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के नियम 92 ख और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा

3 की उपधारा (3) के अनुसरण में और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 96/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार यथास्थिति, सल्फाइटेशन संयंत्र की सहायता से या उसके बिना काम करने वाली यूनिटों में खांडसारी चीनी के विनिर्माण के लिए स्थापित विभिन्न आकारों के उपकेन्द्री (सेन्ट्रीफ्यूगल) के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट हैं, अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क की वे दरें नियत करती है, जो उस तारीख से लेकर जब यूनिट किसी मौसम में विनिर्माण संक्रियाएं आरम्भ करती है उस तारीख तक जब वह यूनिट मौसम के अंत में बन्द हो जाती है, प्रति सप्ताह संगणित की जाएंगी जैसा कि उस सारणी के यथास्थिति स्तम्भ (2) या स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं।

सारणी

उपकेन्द्री का आकार	प्रति उपकेन्द्री शुल्क की साप्ताहिक दर रुपयों में	
	सल्फाइटेशन संयंत्र की सहायता से काम करने वाली यूनिटें	सल्फाइटेशन संयंत्र की सहायता के बिना काम करने वाली यूनिटें
1	2	3
(1) 22.9 सेन्टीमीटर से अनधिक ऊंचाई और 45.7 सेन्टीमीटर से अनधिक व्यास के अपकेन्द्री	630	340
(2) 22.9 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 30.5 सेन्टीमीटर से अनधिक की ऊंचाई और 45.7 सेन्टीमीटर और उससे अधिक किन्तु 61.0 सेन्टीमीटर से अधिक व्यास के	840	450
(3) 30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 45.7 सेन्टीमीटर से अनधिक की ऊंचाई और 61.0 सेन्टीमीटर और उससे अधिक किन्तु 76.2 सेन्टीमीटर से अनधिक व्यास के	1230	660
(4) अन्य सभी अपकेन्द्री जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है	1630	870

परन्तु,——

(i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए सप्ताह की गणना, अधिवर्ष (लीप इयर) में फरवरी मास के सिवाय, किसी कलेण्डर मास के पहले से 7वें दिन तक, 8वें दिन

से 14वें दिन तक, 15वें से 21वें दिन तक और 22वें से 28वें दिन तक की जाएगी, और

अधिवर्ष में फरवरी मास में सप्ताह की गणना पहले 7वें दिन तक, 8वें से 14वें दिन तक, 15वें से 21वें दिन तक और 22वें से 29वें दिन तक की जाएगी ।

(ii) कलेण्डर मास के, फरवरी मास के सिवाय, यथास्थिति, शेष 2 या 3 दिन के लिए, शुल्क की गणना सारणी के, यथास्थिति, स्तम्भ (2) या (3) में विनिर्दिष्ट साप्ताहिक शुल्क दरों की एक-तिहाई दर से की जाएगी और शुल्क विनिर्माता द्वारा चौथे सप्ताह के लिए अर्थात उस कलेण्डर मास के 22वें दिन से 28वें दिन तक के लिए संदेय शुल्क के साथ-साथ उसके द्वारा सदेय होगा ।

(iii) जुलाई के पहले दिन को आरम्भ होकर अक्तूबर के 31वें दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए किसी भी प्रकार के अपकेन्द्रियों को लागू शुल्क की दर उस प्रकार के अपकेन्द्रीयों के लिए नियत दर की दो-तिहाई होगी ।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए 'दिन' से चौबीस घण्टों की वह अवधि अभिप्रेत है जो प्रात: 9 बजे आरम्भ होता है ।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1976 से प्रवृत होगी ।

[सं० 20/76]

G.S.R. 58(E).—In pursuance of rule 92B of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby fixes, for the different sizes of centrifugals installed for the manufacture of Khandsari Sugar in the units working with or without the aid of sulphitation plant, as the case may be, and specified in column (1) of the Table below, the rates of duty calculated, from the date on which the unit commences manufacturing operations during a season to the date the unit closes down at the end of the season, per week as specified in the corresponding entries in column (2) or column (3) thereof, as the case may be:

TABLE

Sizes of centrifugals	Weekly rate of duty per centrifugal, in rupees	
	Units working with the aid of sulphitation plant	Units working without the aid of sulphitation plant
1	2	3
(1) Height of the centrifugals not exceeding 22·9 centimetres and diameter not exceeding 45·7 centimetres .	3770	2020
(2) Height exceeding 22·9 centimetres, but not exceeding 30·5 centimetres and diameter of and above 45·7 centimetres but not exceeding 61·0 centimetres.	5060	2670
(3) Height exceeding 30·5 centimetres but not exceeding 45·7 centimetres and diameter of and above 61·0 centimetres but not exceeding 76·2 centimetres.	7370	3980
(4) All other centrifugals not otherwise specified.	9770	5210

Provided that:—

(i) the week for the purposes of this notification shall be reckoned as from 1st to 7th, 8th to 14th, 15th to 21st and 22nd to 28th day of a calendar month except the month of February in a leap year, and the week in the month of February in a leap year shall be reckoned as from 1st to 7th, 8th to 14th, 15th to 21st and 22nd to 29th;

(ii) the duty for the remaining 2 or 3 days of the calendar month, except the month of February, as the case may be, shall be calculated at the rate of one-third of the weekly rates of duty specified in column (2) or (3) of the Table, as the case may be, and shall be payable by the manufacturer alongwith the duty payable by him for the fourth week, namely, from 22nd to 28th of that calendar month;

(iii) for the period beginning on the 1st day of July and ending with the 31st day of October, the rate of duty applicable to any type of centrifugal shall be two-thirds of the rate fixed for that type.

Explanation.—For the purpose of this notification "day" means a period of twenty four hours beginning at 9.00 A.M. This notification shall come into force from 1st February, 1976.

[No. 21/76]

सा० का० नि० 58 (ग्र).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 92 ख के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार यथास्थिति, सल्फाइटेशन संयंत्र की सहायता से या उसके बिना काम करने वाली यूनिटों में खांडसारी चीनी के विनिर्माण के लिए स्थापित विभिन्न आकारों के उपकेन्द्रों (सेन्ट्रीफियूगल) के लिए, जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट है, शुल्क की दरें नियत करती है, जो उस तारीख से लेकर जब यूनिट किसी मौसम में विनिर्माण क्रियाएं आरम्भ करती है उस तारीख तक जब वह यूनिट मौसम के अन्त में बन्द हो जाती है, प्रति सप्ताह संगणित की जाएंगी जैसा कि उस सारणी के यथास्थिति स्तम्भ (2) या स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है ·

सारणी

उपकेन्द्री का आकार	प्रति उपकेन्द्री शुल्क की साप्ताहिक दर रुपयों मे	
	सल्फाइटेशन संयंत्र की सहायता से काम करने वाली यूनिटें	सल्फाइटेशन संयंत्र की सहायता के बिना काम करने वाली यूनिटें
1	2	3
(1) 22.9 सेन्टीमीटर से अनधिक ऊंचाई और 45.7 सेन्टीमीटर से अनधिक व्यास के उपकेन्द्री	3770	2020
(2) 22.9 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 30.5 सेन्टीमीटर से अनधिक की ऊंचाई और 45.7 सेन्टीमीटर और उससे अधिक किन्तु 61.0 सेन्टीमीटर से अनधिक व्यास के	5060	2670

1	2	3
(3) 30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 45.7 सेन्टीमीटर से अनधिक की ऊंचाई और 61.0 सेन्टीमीटर और उससे अधिक किन्तु 76.2 सेन्टीमीटर से अनधिक व्यास के	7370	3980
(4) अन्य सभी अपकेन्द्री जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं	9770	5210

परन्तु,—

(i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए सप्ताह की गणना, अधिवर्ष (लीप इयर) में फरवरी मास के सिवाय, किसी कलेण्डर मास के पहले से 7वें दिन तक, 8वें दिन से 14वें दिन तक, 15वें से 21वें दिन तक और 22वें से 28वें दिन तक की जाएगी, और अधिवर्ष में फरवरी मास में सप्ताह की गणना पहले से 7वें दिन तक, 8वें से 14वें दिन तक, 15वें से 21वें दिन तक और 22वें से 29वें दिन तक की जाएगी।

(ii) कलेण्डर मास के, फरवरी मास के सिवाय, यथास्थिति, शेष 2 या 3 दिन के लिए शुल्क की गणना सारणी के, यथास्थिति, स्तम्भ (2) या (3) में विनिर्दिष्ट साप्ताहिक शुल्क दरों की एकतिहाई दर से की जाएगी और शुल्क विनिर्माता द्वारा चौथे सप्ताह के लिए अर्थात् उस कलण्डर मास के 22वें दिन से 28वें दिन तक के लिए संदेय शुल्क के साथ-साथ उसके द्वारा संदेय होगा।

(iii) जुलाई के पहले दिन को आरम्भ होकर अक्टूबर के 31वें दिन को समाप्त हो वाली अवधि के लिए किसी भी प्रकार के अपकेन्द्रियों को लागू शुल्क की उस प्रकार के अपकेन्द्रियों के लिए नियत दर की दो-तिहाई होगी।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए 'दिन' से चौबीस घण्टों की वह अवधि अभिप्रेत है जो प्रात: 9 बजे आरम्भ होती है।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1976 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 21/76]

G.S.R. 59(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 232/75-Central Excises, dated the 1st December, 1975, the Central Government hereby fixes a tariff value of Two Hundred and Ninetyfive rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) sub-section (2) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

This notification shall come into force from 1st Februrary, 1976.

[No. 22/76]

G. S. MAINGI, Under Secy

सा० का० नि० 59 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 दिसम्बर, 1975 की अधिसूचना सं० 232/75 के०उ०शु० को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उपमद स (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए दो सौ पंचानवे रुपये प्रति क्विंटल मूल्य एतद्द्वारा नियत करती है।

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन की जाने के लिए अपेक्षित चीनी पर लागू नहीं होगी।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1976 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 22/76]

जी० एस० मैंगी, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976